

अवर सचिव
UNDER SECRETARY

RTI/speed post



उप राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI-110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/57/2016-17

19 जुलाई, 2016

श्री पी.के. पाण्डेय
अनु सचिव एवं जनसूचना अधिकारी,
मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
मुख्य सचिव कार्यालय, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश शासन।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

संलग्न पत्र श्री रामसकल यादव पुत्र श्री सालिकराम निवासी ग्राम जजवारा, थाना हैदरगंज जिला फैजाबाद, उत्तर प्रदेश का 15.07.2016 का पत्र इस कार्यालय में 19.07.2016 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने दस रूपये का पो.आ. संख्या 33F 635786 संलग्न कर अपने पूर्व में भेजे गये आवेदन पत्र जिनमें इन्होंने कचहरी सीरियल ब्लास्ट 23.11.2007 व मस्जिद ब्लास्ट 5.7.2005 के संबंध में प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी चाही थी, उक्त आवेदन ध्यानाकर्षण हेतु श्रीयुत सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को 07.06.2016 को अग्रसारित किया गया था। अतः इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया कृत कार्यवाही से आवेदक तथा अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जो इस विषय के निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
mahitab.singh@nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री रामसकल यादव पुत्र श्री सालिकराम निवासी ग्राम जजवारा, थाना हैदरगंज जिला फैजाबाद, उत्तर प्रदेश - कृपया अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी से संपर्क करें।

महिताब सिंह
(महिताब सिंह)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
mahitab.singh@nic.in

OK

25/7



सेवा में,

माननीय उपराष्ट्रपति जनसूचना अधिकारी महोदय,
उपराष्ट्रपति सचिवालय, भारत सरकार
नई दिल्ली।

विषय :- जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005

महोदय,

निवेदन है कि आवेदक रामसकल यादव पुत्र श्री सालिक राम
ग्राम जजवारा थाना हैदरगंज जिला फैजाबाद निम्नलिखित बिन्दुओं पर
सूचना/रिपोर्ट चाहता है।

1. मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने आवेदक के दिये गये अनुरोध पत्र पर कचेहरी सिरियल ब्लास्ट दिनांक 23.11.2007 की जांच विवेचना किस पुलिस अधिकारी/कर्मचारी के माध्यम से करायी है।
2. मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने आवेदक के दिये गये अनुरोध पत्र ^{पर} बाबरी मस्जिद ब्लास्ट दिनांक 5.7.2005 की जांच विवेचना किसी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी के माध्यम से करायी गयी है।

अतः महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना/रिपोर्ट अतिशीघ्र देने की कृपा करें।

दिनांक : 15 जुलाई 2016

आवेदक ~~रामसकल यादव~~
रामसकल यादव पुत्र श्री सालिक राम
ग्राम जजवारा थाना हैदरगंज
जिला फैजाबाद।

संलग्नक - पोस्टल आर्डर शुल्क 10,

संख्या 33एफ 635796